

प्रेषक,

महानिदेशक,  
परिवार कल्याण,  
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या:—अ०नि०/यू०आई०पी०/वैक्सीन/2020/प्रशा/ दिनांक:— अप्रैल 2020  
विषय:—कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी गतिविधियों के अर्न्तगत नियमित टीकाकारण सत्र संचालन के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या:—अ०नि०/यू०आई०पी०/वैक्सीन/2019-20/11366-75, दिनांक 24.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी गतिविधियों के अर्न्तगत नियमित टीकाकारण सत्र संचालन दिनांक 04.04.2020 तक के लिए स्थगित करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

उक्त क्रम में उल्लिखित करना है कि वर्तमान में भी कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी गतिविधियों के अर्न्तगत नियमित टीकाकारण सत्रों के संचालन को दिनांक 14.04.2020 तक स्थगित किया जाता है।

तदनुसार संबंधियों को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(बद्री विशाल)  
महानिदेशक

पत्र संख्या:—अ०नि०/यू०आई०पी०/वैक्सीन/2020/प्रशा/4961-8  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

दिनांक:— 03 | अप्रैल 2020

1. अपर आयुक्त (प्रतिरक्षण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र० लखनऊ।
4. मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, उ०प्र०, लखनऊ।
5. अपर निदेशक (यू०आई०पी०/ई०पी०आई०), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
7. समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. प्रतिनिधि, डब्लू०एच०ओ०/यूनिसेफ/यू०एन०डी०पी०।

(बद्री विशाल)  
महानिदेशक

प्रेषक,

महानिदेशक,  
परिवार कल्याण,  
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।


पत्र संख्या:—अ०नि०/यू०आई०पी०/वैक्सीन/2020/ <sup>प्रशा/</sup> 4886-75 दिनांक:— 03/अप्रैल 2020  
विषय:—कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी गतिविधियों के अर्न्तगत नियमित टीकाकारण सत्र संचालन के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या:—अ०नि०/यू०आई०पी०/वैक्सीन/2019-20/11366-75, दिनांक 24.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी गतिविधियों के अर्न्तगत नियमित टीकाकारण सत्र संचालन दिनांक 04.04.2020 तक के लिए स्थगित करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

उक्त क्रम में उल्लिखित करना है कि वर्तमान में भी कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी गतिविधियों के अर्न्तगत नियमित टीकाकारण सत्रों के संचालन को दिनांक 14.04.2020 तक स्थगित किया जाता है।


तदनुसार संबंधियों को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

  
(बद्री विशाल)  
महानिदेशक

पत्र संख्या:—अ०नि०/यू०आई०पी०/वैक्सीन/2020/ <sup>प्रशा/</sup> दिनांक:— अप्रैल 2020  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर आयुक्त (प्रतिरक्षण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र० लखनऊ।
4. मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, उ०प्र०, लखनऊ।
5. अपर निदेशक (यू०आई०पी०/ई०पी०आई०), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
7. समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. प्रतिनिधि, डब्लू०एच०ओ०/यूनिसेफ/यू०एन०डी०पी०।

  
(बद्री विशाल)  
महानिदेशक